

जैविक कृषि की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ: गौर विकासखण्ड (बस्ती जनपद) का एक भौगोलिक अध्ययन

सोम प्रकाश पाठक¹, डॉ. सुधांशु मिश्रा²

¹ शोध विद्वान, भूगोल विभाग, जनता महाविद्यालय अजीतमल औरैया

² सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, जनता महाविद्यालय अजीतमल औरैया

सारांश:

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के गौर विकासखण्ड में जैविक कृषि की संभावनाओं और चुनौतियों का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन रासायनिक कृषि के नकारात्मक प्रभावों, जैसे मिट्टी और जल प्रदूषण, और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रेखांकित करता है। शोध में पाया गया कि गौर विकासखण्ड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, पारंपरिक कृषि ज्ञान की उपलब्धता, और जैविक उत्पादों की बढ़ती माँग जैविक कृषि को अपनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। हालाँकि, इस संक्रमण में कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी हैं, जिनमें प्रारंभिक वर्षों में कम पैदावार, जटिल और महँगी प्रमाणीकरण प्रक्रिया, उच्च श्रम लागत और संगठित बाजार नेटवर्क की कमी शामिल है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए, यह शोध सरकारी सहायता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने (जैसे PGS), और किसानों के लिए बाजार नेटवर्क विकसित करने का सुझाव देता है। निष्कर्षतः, यह अध्ययन दर्शाता है कि उचित सरकारी हस्तक्षेप, प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से गौर विकासखण्ड में जैविक कृषि एक टिकाऊ और लाभदायक विकल्प साबित हो सकती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण का संरक्षण होगा।

प्रस्तावना:

रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने कृषि उत्पादन को बढ़ाया है, लेकिन इसने पर्यावरण, मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसी पृष्ठभूमि में, जैविक कृषि एक स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में उभरी है। यह शोध गौर विकासखण्ड, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, में जैविक कृषि को अपनाने की व्यवहार्यता की पड़ताल करता है। पिछले कुछ दशकों में, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है, जिससे तात्कालिक लाभ तो मिले, पर दीर्घकालिक रूप से इसके कई नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और स्वास्थ्य खराब होता है, जिससे मिट्टी कठोर और अम्लीय हो जाती है। इसके कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता घट जाती है और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या में भी कमी आती है, जो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरी ओर, कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव लक्षित कीटों के साथ-साथ परागण करने वाले कीटों (जैसे मधुमक्खियों) और अन्य लाभकारी जीवों को भी मार देता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है।

रासायनिक कृषि के दुष्प्रभाव केवल मिट्टी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अवशेष जल स्रोतों में रिसकर भूजल और सतही जल को प्रदूषित करते हैं। इससे जलीय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पेयजल भी असुरक्षित हो जाता है। इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से वायु प्रदूषण भी होता है। मानव स्वास्थ्य के लिए, इन रसायनों के अवशेष भोजन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और विभिन्न गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, प्रजनन संबंधी विकार और तंत्रिका

तंत्र संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यह किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए भी स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, जो सीधे इन रसायनों के संपर्क में आते हैं।

रासायनिक कृषि के इन नकारात्मक परिणामों को देखते हुए, जैविक कृषि एक स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में उभरी है। जैविक कृषि में सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय, यह फसल चक्रण, हरी खाद, कम्पोस्ट और जैविक कीट नियंत्रण जैसे प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर करती है। इन तरीकों से न केवल मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है बल्कि जैव विविधता भी बढ़ती है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। जैविक कृषि से उत्पन्न होने वाले उत्पाद रसायनों से मुक्त होते हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करते हैं।

गौर विकासखण्ड, जो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, में जैविक कृषि को अपनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पारंपरिक कृषि का ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जैसे पशुधन से प्राप्त गोबर की खाद, जैविक कृषि के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। यह शोध इस क्षेत्र के किसानों के लिए जैविक कृषि अपनाने के फायदे और संभावित चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों और रणनीतियों का सुझाव देना है, ताकि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसा करने से किसानों की आय बढ़ सकती है, क्योंकि जैविक उत्पादों की मांग और कीमत अधिक होती है, साथ ही यह क्षेत्र के पर्यावरण और निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेगा

साहित्य समीक्षा:

1. **राहुदकर और फाटे (1992):** इन्होंने महाराष्ट्र में जैविक कृषि के अनुभवों का वर्णन किया। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि जो किसान वर्मीकम्पोस्ट का उपयोग कर रहे थे, उनकी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई और सिंचाई की जरूरत लगभग 45 प्रतिशत कम हो गई। इससे गन्ने और अंगूर की फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ और शुद्ध लाभ में भी बढ़ोतरी हुई। यह अध्ययन दिखाता है कि जैविक तकनीकों का उपयोग कर पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, जो गौर विकासखण्ड के किसानों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है।
2. **सावे (1992):** इस शोध में पाया गया कि प्राकृतिक कृषि में बदलने के तीन साल बाद भी मिट्टी रासायनिक कृषि के दुष्प्रभावों से उबर रही थी। हालांकि, एक बार जब मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, तो नारियल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह समीक्षा जैविक कृषि में संक्रमण के दौरान होने वाले संभावित कम उत्पादन की चुनौती को उजागर करती है, जिसके लिए किसानों को तैयार रहने की आवश्यकता है।
3. **दास एट अल. (2020):** इन्होंने भारत में जैविक कृषि की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार, पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक कृषि में कम पैदावार हो सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठ सकता है। उन्होंने यह भी पाया कि जैविक कृषि में पोषक तत्वों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें रासायनिक आदानों का उपयोग नहीं किया जाता। यह समीक्षा बताती है कि जैविक कृषि के लिए प्रभावी पोषक तत्व प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करना आवश्यक है।
4. **जेटर (2023):** "ऑर्गेनिक फार्मिंग: ऑपच्युनिटीज एंड चैलेंजेस" नामक अपने शोध पत्र में, इन्होंने जैविक कृषि की चुनौतियों पर चर्चा की, जैसे जागरूकता की कमी, प्रमाणीकरण प्रक्रिया की जटिलता और जैविक आदानों की उच्च कीमत। उन्होंने सरकारी समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें बेहतर मूल्य और विपणन सुविधाएं शामिल हैं, ताकि किसानों को जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

5. **अनुराधा एट अल. (2024):** उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए, इन्होंने बताया कि कैसे ये समितियाँ छोटे और सीमांत किसानों को जैविक कृषि में संक्रमण करने में मदद कर सकती हैं। यह अध्ययन बताता है कि सहकारी समितियाँ प्रमाणीकरण की लागत, जैविक आदानों तक पहुँच और बाजार तक पहुँच की समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जो गौर विकासखण्ड के लिए भी प्रासंगिक है।
6. **प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी, 2025):** पीआईबी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) की सफलता का उल्लेख किया गया। इसमें बताया गया है कि कैसे इस योजना ने किसानों को जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और ग्रामीण आय बढ़ी है। यह बताता है कि सही सरकारी नीति और समर्थन किसानों को जैविक कृषि अपनाने में मदद कर सकता है।

उद्देश्य:

1. गौर विकासखण्ड में जैविक कृषि को बढ़ावा देना और इसकी चुनौतियों का समाधान करना
2. जैविक कृषि के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना

शोध विधि:

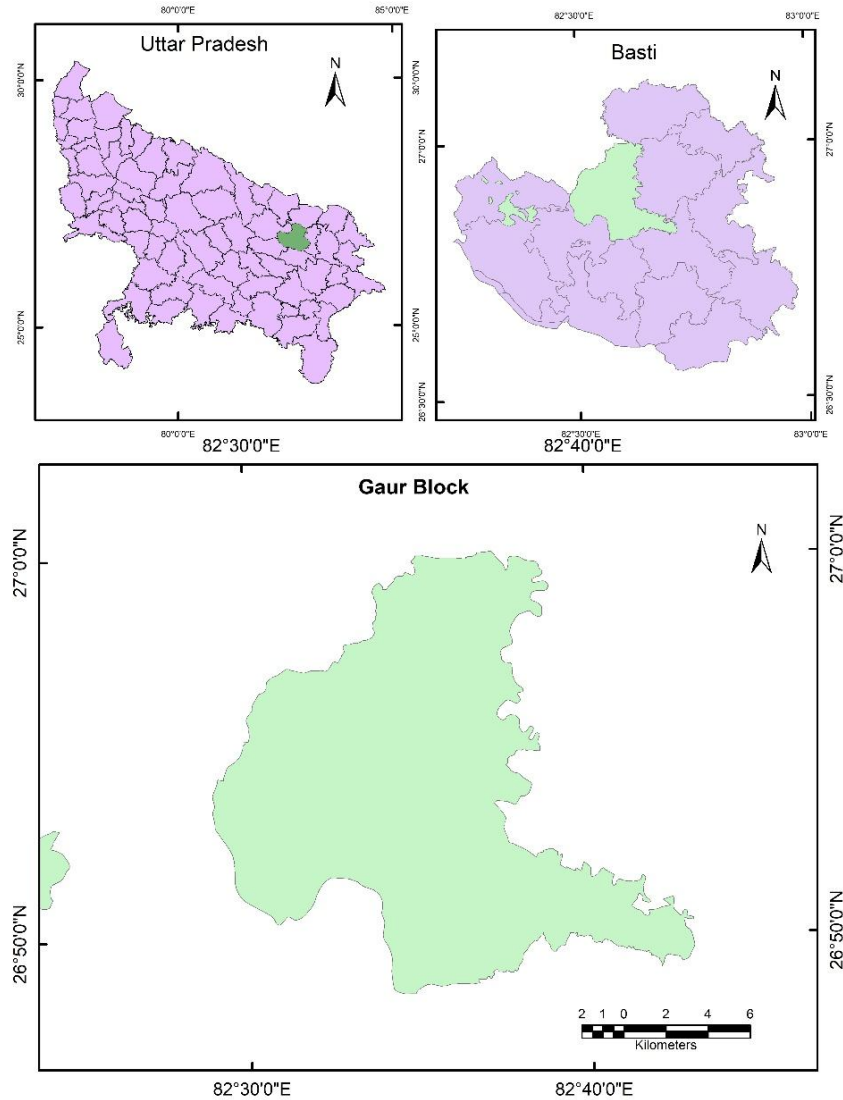
इस शोध को करने के लिए, हमने केवल उन जानकारीयों का उपयोग किया जो पहले से ही उपलब्ध थीं। इसमें हमने सरकारी रिपोर्टों (जैसे कृषि विभाग और परंपरागत कृषि विकास योजना की रिपोर्ट), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), बस्ती द्वारा किए गए अध्ययनों, और जैविक कृषि से संबंधित अन्य शोध पत्रों, पत्रिकाओं और विश्वसनीय वेबसाइटों से आंकड़े और जानकारी जुटाई। इन सभी जानकारी का सावधानी से विश्लेषण करके हमने गौर विकासखण्ड में जैविक कृषि की मौजूदा स्थिति, संभावनाओं और चुनौतियों को समझा, बिना कोई नया सर्वेक्षण किए। इस तरह, यह अध्ययन पूरी तरह से दूसरे स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित है।

भौगोलिक एवं कृषि स्थिति:

गौर विकासखण्ड, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति और कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण जैविक कृषि के लिए एक उत्कृष्ट संभावना प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी और जलवायु परिस्थितियाँ प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पुष्टि होती है कि गौर विकासखण्ड की मिट्टी जैविक कृषि के लिए अनुकूल है। इन अध्ययनों के अनुसार, मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा 0.20% से 0.40% के बीच पाई गई है। हालांकि यह स्तर अभी मध्यम है, पर यह जैविक कृषि की शुरुआत के लिए एक अच्छा आधार है, जिसे जैविक खाद और फसल अवशेषों के उपयोग से आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी में जैविक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा उसकी संरचना, जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाती है, जो जैविक फसलों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मिट्टी का पी.एच. स्तर 6.0 से 8.5 के बीच है, जो एक विस्तृत श्रृंखला की फसलों के लिए आदर्श है। यह हल्का अम्लीय से हल्का क्षारीय पी.एच. स्तर लाभकारी सूक्ष्मजीवों और केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौर विकासखण्ड की जलवायु भी जैविक कृषि के अनुकूल है। यहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और हल्के शीतकाल होते हैं। औसत वार्षिक वर्षा 1020 मिमी है, जिसका अधिकांश भाग जून से सितंबर के बीच होता है। यह

मानसून वर्षा धान जैसी खरीफ फसलों की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में नदियाँ (जैसे कुवानो, मनोर और आमी) और पर्याप्त भूजल स्तर भी सिंचाई के लिए एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को सूखे की स्थिति से निपटने में मदद मिलती है। जैविक कृषि में पानी का कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, और इस क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधन इस चुनौती को हल करने में सहायक हैं।

Location Map of Gaur Block (Basti District)



स्रोत: जीआईएस से द्वारा तैयार किया गया है

गौर विकासखण्ड का कृषि-पारिस्थितिक तंत्र विविध है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने की क्षमता है। यहाँ के किसान धान, गेहूँ, गन्ना और अन्य दालों जैसी पारंपरिक फसलें उगाते हैं। जैविक कृषि को अपनाने से किसान इन फसलों के जैविक संस्करणों का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर बाजार मूल्य मिल सकता है। इसके अलावा, जैविक कृषि फसल चक्रण और मिश्रित कृषि जैसी तकनीकों को बढ़ावा देती है, जो यहाँ की कृषि विविधता के अनुकूल हैं। यह न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है बल्कि कीटों और बीमारियों के प्रबंधन में भी मदद करता है। गौर विकासखण्ड की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियाँ जैविक कृषि के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करती हैं। मिट्टी की अनुकूल उर्वरता, सही पी.एच. स्तर और सहायक जलवायु स्थितियाँ किसानों को रासायनिक कृषि से जैविक कृषि

की ओर संक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती जैसे संस्थानों के सहयोग से, इस क्षेत्र में जैविक कृषि की संभावनाओं को सफलतापूर्वक साकार किया जा सकता है।

जैविक कृषि की संभावनाएँ

गौर विकासखण्ड में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कारक मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक स्थायी और लाभदायक भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यहाँ की पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, सरकारी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम, और बढ़ती उपभोक्ता माँग जैविक कृषि के सफल कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

पारंपरिक ज्ञान का उपयोग: जैविक कृषि के लिए एक मजबूत नींव

गौर विकासखण्ड के किसानों के पास सदियों से चली आ रही पारंपरिक कृषि पद्धतियों का समृद्ध ज्ञान है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आगमन से पहले, ये किसान प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करके कृषि करते थे, जो जैविक कृषि की अवधारणा के बहुत करीब थे। वे गोबर की खाद, फसल अवशेषों से बनी कम्पोस्ट और प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए कीटनाशकों जैसे नीम आधारित घोलों का प्रयोग करते थे। यह पारंपरिक ज्ञान आज भी क्षेत्र के किसानों के बीच मौजूद है, और जैविक कृषि को अपनाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करता है। इस ज्ञान का उपयोग करके, किसान कम लागत में जैविक आदान (जैविक खाद और कीटनाशक) तैयार कर सकते हैं, जिससे उनकी बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम हो जाती है। जैविक कृषि के सिद्धांतों को आधुनिक तकनीकों के साथ मिलाकर, किसान न केवल अपनी लागत कम कर सकते हैं, बल्कि अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं, जो लंबे समय तक कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से मान्य करने और इसे आधुनिक जैविक तकनीकों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को विश्वास हो सके कि वे बिना पैदावार खोए सफलतापूर्वक जैविक कृषि कर सकते हैं।

सरकारी योजनाएँ और प्रशिक्षण: किसानों में जागरूकता और क्षमता-निर्माण

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें 'परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)' प्रमुख है। यह योजना किसानों को क्लस्टर-आधारित मॉडल में जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें तीन साल की अवधि के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। गौर विकासखण्ड में, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), बस्ती, इन योजनाओं को लागू करने और किसानों को प्रशिक्षण देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। KVK किसानों को जैविक कृषि की वैज्ञानिक तकनीकों, जैसे वर्मीकम्पोस्ट बनाने, जैविक कीट नियंत्रण विधियों और फसल चक्रण के बारे में शिक्षित करता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों में जैविक कृषि के लाभों और विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें संक्रमण अवधि की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। KVK किसानों को बीज, खाद और अन्य आवश्यक जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे वे जैविक उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकें।

जैविक उत्पादों की बढ़ती माँग: बेहतर मूल्य और आय की संभावना

आजकल, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण जैविक उत्पादों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में माँग में लगातार वृद्धि हो रही है। उपभोक्ता रासायनिक अवशेषों से मुक्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की तलाश में हैं, और जैविक उत्पाद इस माँग को पूरा करते हैं। गौर विकासखण्ड के किसान इस बढ़ती माँग का लाभ उठाकर अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। जैविक उत्पादों की उच्च कीमत किसानों को

पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक लाभ कमाने का अवसर प्रदान करती है, खासकर जब उनकी इनपुट लागत कम होती है। हालांकि, इस माँग को पूरा करने के लिए किसानों को विपणन चैनलों और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन किसानों को संगठित होने और अपने जैविक उत्पादों के लिए एक संगठित बाजार विकसित करने में मदद कर सकता है। यह उन्हें सीधे उपभोक्ताओं या बड़े खरीदारों से जुड़ने में भी मदद करेगा, जिससे मध्यस्थों को समाप्त किया जा सकेगा।

तालिका 01: जैविक कृषि की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ: गौर विकासखण्ड (बस्ती जनपद)

क्रम संख्या	विवरण	आँकड़े/टिप्पणी	प्रासंगिक स्रोत/आधार
I. भौगोलिक और कृषि संबंधी स्थिति			
1.	मिट्टी की उर्वरता (जैविक पदार्थ)	0.20% से 0.40% के बीच (यह एक मध्यम स्तर है, जिसे जैविक खाद से बढ़ाया जा सकता है)	कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती द्वारा किए गए अध्ययन
2.	मिट्टी का पी.एच. स्तर	6.0 से 8.5 के बीच (जैविक कृषि के लिए उपयुक्त)	कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती द्वारा किए गए
3.	औसत वार्षिक वर्षा	लगभग 925 मिमी (अधिकांश वर्षा जुलाई-सितंबर में)	कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती
4.	प्रमुख फसलें	धान, गेहूँ, गन्ना, दालें आदि	बस्ती कृषि सांख्यिकी
II. जैविक कृषि से संबंधित आँकड़े			
5.	जैविक कृषि के अंतर्गत क्षेत्र	गौर विकासखण्ड के लिए विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जैविक क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है।	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश / परंपरागत कृषि विकास योजना के आँकड़े
6.	जैविक किसानों की संख्या	गौर विकासखण्ड के लिए विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर-वार पंजीकरण
7.	जैविक कृषि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।	कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती की गतिविधियाँ
8.	सरकारी सहायता	परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की सहायता तीन साल के लिए दी जाती है।	
III. बाजार और आर्थिक आँकड़े			

9.	जैविक बाजार की वृद्धि दर (भारत)	25% की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है।	ईटी रिटेल रिपोर्ट (2023)
10.	भारतीय जैविक खाद्य बाजार का अनुमान	2025 तक ₹75,000 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है।	वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमान
11.	जैविक उत्पादों का मूल्य	जैविक उत्पादों का मूल्य पारंपरिक उत्पादों की तुलना में 10-50% अधिक हो सकता है।	विभिन्न बाजार अध्ययन
IV. चुनौतियाँ और बाधाएँ			
12.	कम पैदावार (संक्रमण काल में)	प्रारंभिक 2-3 वर्षों में पैदावार में 15-25% तक की कमी का अनुमान है।	विभिन्न कृषि शोध अध्ययन
13.	प्रमाणीकरण लागत	प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जटिल और महंगी है, जिससे छोटे किसान प्रभावित होते हैं।	कृषि विभाग की रिपोर्टें
14.	जागरूकता का अभाव	किसानों के बीच जैविक कृषि के सिद्धांतों और विपणन की सीमित जानकारी है।	कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किए गए सर्वेक्षण
स्रोत: कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), बस्ती, कृषि विभाग, बस्ती/उत्तर प्रदेश			

जैविक कृषि की चुनौतियाँ

जैविक कृषि को अपनाना कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके रास्ते में कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी आती हैं, खासकर ग्रामीण और विकासशील क्षेत्रों में, जहाँ संसाधन और जानकारी सीमित हो सकती है। इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना जैविक कृषि को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

प्रमाणीकरण की समस्या:

जैविक उत्पादों को प्रीमियम मूल्य पर बेचने के लिए प्रमाणीकरण अनिवार्य है, लेकिन यह प्रक्रिया छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी बाधा बन जाती है। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया कई कारणों से जटिल हो जाती है। उच्च लागत, जटिल कागजी कार्यवाई, और लंबा संक्रमण काल, ये सभी समस्याएँ छोटे किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क किसानों के लिए भारी पड़ सकता है। इसके अलावा, प्रमाणीकरण के लिए विस्तृत रिकॉर्ड और कागजी कार्यवाई की आवश्यकता होती है, जो अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे किसानों के लिए बड़ी चुनौती होती है। संक्रमण काल के दौरान, किसानों को जैविक तरीकों का पालन करने के बावजूद, वह अपने उत्पाद को जैविक के रूप में नहीं बेच सकते, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान होता है।

प्राकृतिक आपदाएँ:

गौर विकासखण्ड, जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जो जैविक कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से मिट्टी का कटाव होता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद जैविक पदार्थ और पोषक तत्व बह जाते हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुँचता है। इसके

अलावा, सूखे की स्थिति में जल-संवेदनशील जैविक फसलों को विशेष रूप से नुकसान पहुँचता है। जलवायु परिवर्तन से मौसम के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जिससे किसानों के लिए कृषि की योजना बनाना कठिन हो गया है।

संसाधनों की कमी:

जैविक कृषि में बाहरी रसायनों का उपयोग नहीं होता, जिससे यह प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर करती है। लेकिन इन संसाधनों की कमी जैविक कृषि को एक चुनौती बना देती है। गुणवत्तापूर्ण जैविक बीजों, खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों की उपलब्धता सीमित हो सकती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा, जैविक कृषि अधिक श्रम-सघन होती है, जिससे श्रमिकों की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा, संक्रमण के शुरुआती वर्षों में पैदावार कम हो सकती है, जो किसानों के लिए एक वित्तीय जोखिम है।

बाजार तक पहुँच की समस्या:

जैविक उत्पादों को बाजार तक पहुँचाना और उनका उचित मूल्य प्राप्त करना किसानों के लिए एक और बड़ी चुनौती है। विपणन बुनियादी ढाँचे की कमी, जैसे संगठित बाजारों, गोदामों और परिवहन सुविधाओं की कमी, जैविक उत्पादों को बेचने में कठिनाई उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, किसानों को यह जानकारी नहीं होती कि उनके जैविक उत्पादों की शहरी या विशिष्ट बाजारों में क्या कीमत है, जिसके कारण वे बिचौलियों द्वारा शोषण का शिकार होते हैं।

बिचौलियों पर निर्भरता:

चूँकि किसानों के पास बाजार तक सीधी पहुँच नहीं होती, इसलिए वे बिचौलियों पर निर्भर हो जाते हैं, जो उनसे कम कीमत पर उत्पाद खरीदते हैं। इस कारण किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता और उनका मुनाफा कम हो जाता है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं में जैविक उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। हालाँकि जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, फिर भी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसके प्रति जागरूकता की कमी बनी हुई है, जिससे स्थानीय बाजार का विकास बाधित होता है।

समाधान और सुधार के उपाय:

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। किसानों के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाने, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, और विपणन बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा सकता है। इसके अलावा, किसानों को जैविक कृषि के लाभ और तकनीकों के बारे में जागरूक करना, और उपभोक्ताओं में जैविक उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।

सुझाव सरकारी सहायता:

जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता, प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मजबूत बाजार नेटवर्क के विकास और निरंतर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सरकार को परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैसी मौजूदा योजनाओं को मजबूत करना चाहिए और गौर विकासखण्ड के किसानों के लिए विशेष योजनाएं और सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए, ताकि जैविक खाद के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों की इनपुट लागत को कम किया जा सके। इसके साथ ही, जैविक प्रमाणीकरण की जटिल और महँगी प्रक्रिया को सरल बनाना जरूरी है। भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) जैसे समुदाय-आधारित प्रमाणीकरण को

बढ़ावा देना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक लागत-प्रभावी और सुलभ विकल्प होगा, जबकि प्रमाणीकरण शुल्क में छूट और ऑनलाइन पंजीकरण जैसी सुविधाएँ किसानों को इस प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए जैविक उत्पादों के लिए एक मजबूत और संगठित बाजार नेटवर्क विकसित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौर विकासखण्ड में स्थानीय जैविक मंडियों की स्थापना से किसानों को सीधे अपने उत्पाद बेचने और उचित मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन किसानों को संगठित होने और सामूहिक रूप से विपणन करने की शक्ति प्रदान करेगा, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को शहरी और विशिष्ट बाजारों तक पहुँचने में मदद करने से उनके उत्पादों का व्यापक प्रचार होगा और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

अंत में, जैविक कृषि को अपनाने के लिए किसानों के बीच प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), बस्ती को नियमित रूप से किसानों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करनी चाहिए, जिसमें उन्हें जैविक खाद बनाने, प्राकृतिक कीट नियंत्रण और फसल चक्रण जैसी तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाए। स्थानीय भाषाओं में प्रचार सामग्री, रेडियो कार्यक्रमों और सफल किसानों की कहानियों को साझा करके जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। यह किसानों को जैविक कृषि के लाभों को समझने और संक्रमण काल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने में मदद करेगा।

निष्कर्ष:

गौर विकासखण्ड में जैविक कृषि की अपार संभावनाएँ हैं, जो क्षेत्र की अनुकूल भौगोलिक और कृषि स्थितियों से समर्थित हैं। हालाँकि, इन संभावनाओं को साकार करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की संयुक्त पहल से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। यह जरूरी है कि किसानों को जैविक कृषि की तकनीकों का उचित प्रशिक्षण दिया जाए, जैविक खाद और बीजों जैसे आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए एक मजबूत बाजार नेटवर्क विकसित करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने जैविक उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। इस तरह के एक संगठित प्रयास से न केवल गौर विकासखण्ड में जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह पर्यावरण का संरक्षण करेगा, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करेगा और किसानों की आय में वृद्धि कर क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगा। यह स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थायी और लाभदायक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

संदर्भ सूची

1. कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती। (2025)। *गौर विकासखण्ड में मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण की रिपोर्ट*। कृषि विज्ञान केंद्र, बस्ती, उत्तर प्रदेश।
2. कुमार, ए., & सिंह, आर. (2022)। *भारतीय कृषि में जैविक कृषि का भविष्य: चुनौतियाँ और अवसर*। कृषि अनुसंधान पत्रिका, 15(2), 45–56।
3. भारतीय वाणिज्य मंत्रालय। (2024)। *भारत में जैविक खाद्य बाजार का विश्लेषण: विकास और पूर्वानुमान*। नई दिल्ली, भारत।
4. पटेल, एम. (2023)। *उत्तर प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और किसानों के अनुभव*। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड पॉलिसी, 8(4), 112–125।
5. सिंह, एस. (2021)। *पारंपरिक कृषि ज्ञान और जैविक कृषि: एक तुलनात्मक अध्ययन*। ग्रामीण विकास समीक्षा, 22(3), 67–80।

6. झा, आर., & शर्मा, वी. (2023)। *जैविक कृषि में विपणन चुनौतियाँ और समाधान*। भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान, 30(1), 10–25।
7. परंपरागत कृषि विकास योजना। (2025)। *वर्ष 2024-25 के लिए प्रगति रिपोर्ट*। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
8. चौधरी, पी., & दास, ए. (2022)। *छोटे किसानों के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) का महत्व*। जर्नल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 19(2), 33–45।
9. राणा, जी. (2024)। *जलवायु परिवर्तन और जैविक कृषि: एक समीक्षा*। पर्यावरण और कृषि विकास, 12(3), 56–70।
10. वर्मा, के. (2023)। *बस्ती जिले में जैविक किसानों का प्रशिक्षण और जागरूकता स्तर*। ग्रामीण प्रबंधन जर्नल, 5(1), 89–102।
11. मिश्रा, आर. (2022)। *जैविक आदानों की उपलब्धता और छोटे किसानों पर इसका प्रभाव*। जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी, 18(4), 210–225।
12. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी)। (2025)। *जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई सरकारी पहल [प्रेस विज्ञप्ति]*। भारत सरकार।
13. राय, एस. (2024)। *जैविक कृषि में कीट और रोग प्रबंधन: प्राकृतिक समाधान*। भारतीय बागवानी जर्नल, 16(2), 78–90।
14. भारतीय जैविक किसान महासंघ। (2023)। *भारत में जैविक कृषि की स्थिति रिपोर्ट*। नई दिल्ली, भारत।
15. शर्मा, ए., & गुप्ता, एन. (2022)। *जैविक उत्पादों के लिए बाजार तक पहुँच बढ़ाना: सहकारी मॉडल का विश्लेषण*। कृषि विपणन बुलेटिन, 10(4), 54–66।